भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2612 का उत्तर

संसद सदस्यों से अभ्यावेदन

2612. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंहः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल में रेल मंत्रालय/रेलवे जोनों के मुख्यालय (एचओ) कोटा के लिए जारी वीआईपी संदर्भों हेतु प्राथमिकता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान जोन-वार कितने संदर्भ प्राप्त किए गए हैं और कितना कोटा जारी किया गया है;

(ग) क्या वीआईपी संदर्भों के साथ जान-बूझकर और पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए एमआर सेल के अधिकारियों के विरुद्ध वीआईपी/सांसदों (एमपी) से लगातार शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या आईआरसीटीसी ने सांसदों के लिए ऑनलाइन रेलवे आरक्षण हेतु समर्पित पोर्टल विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय आईआरसीटीसी पोर्टल के द्वारा एचओ कोटा हेतु वीआईपी संदर्भों के ऑनलाइन जमा करने की सुविधा संबंधी विशेषता आरंभ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अन्य क्या संबंधित कदम और पहलें की जा रही हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

sk

संसद सदस्यों से अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 04.12.2019 को लोक सभा में डॉ. सुकान्त मजूमदार, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्री राजा अमरेश्वर नाईक और श्री भोला सिंह के अतारांकित प्रश्न सं. 2612 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क): उच्च पदाधिकारी मांगपत्र (एचओआर) धारकों, (जिनमें केंद्र सरकार के मंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय/विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद सदस्य शामिल होते हैं), की तत्काल यात्रा आवश्यकताओं और अन्य आकस्मिक मांगें, जो प्रतीक्षा-सूची में होती हैं, को पूरा करने के लिए विभिन्न गाड़ियों में और विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटे के रूप में बर्थों/सीटों की सीमित संख्या निर्धारित की गई है। यह कोटा वारंट ऑफ प्रीसिडेंस के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार रेलवे द्वारा जारी किया जाता है और इसमें काफी लंबे समय से एक सुनिर्धारित परिपाटी अपनाई जा रही है। सीटों/बर्थों के आबंटन के समय पर वारंट ऑफ प्रीसिडेंस में उनकी पारस्परिक-वरिष्ठता का कड़ाई से अनुपालन करते हुए स्वयं यात्रा करने वाले एचओआर धारकों/संसद सदस्यों आदि के लिए सर्वप्रथम आपातकालीन कोटा आबंटित किया जाता है। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अन्य मांगपत्रों, जिसमें संसद सदस्यों के मांग-पत्र भी शामिल होते है, पर विचार किया जाता है और शेष कोटे को यात्रियों, सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करने जैसी तात्कालिकता, परिवार में शोक, बीमारी, नौकरी के लिए साक्षात्कार, आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। यद्यपि, एचओआर धारकों/माननीय सांसदों द्वारा स्वयं यात्रा के लिए प्राप्त अनुरोधों को पूरा किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए अग्रेषित किए गए अनुरोधों के मामले में, मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण ऐसे सभी अनुरोधों को समाहित करना, कभी-कभार व्यावहारिक नहीं होता।

(ख): चूंकि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं, और दिन प्रतिदिन आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए एचओआर धारकों/माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त अनुरोध सहित आपातकालीन कोटा से स्थान जारी करने संबंधी अनुरोधों का ब्यौरा केवल मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ही सुरक्षित रखा जाता है।

(ग): जी नहीं। बहरहाल, गणमान्य व्यक्तियों और कुछ रेल अधिकारियों के जाली लैटर हैड के प्राधिकार पर आपातकालीन कोटे से सीट जारी करवाने के प्रयास के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। चूंकि अधिक भीड़-भाड़ वाली अवधियों के दौरान इस प्रकार के पत्रों के संबंध में आरक्षण कर्मचारी सतर्क रहते हैं, इसलिए इन पत्रों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है। इन पत्रों के जाली होने की पुष्टि होने पर इस प्रकार के अनुरोधों पर कोई सीट जारी नहीं की जाती और आपराधिक मामला दर्ज करने जैसी आगे की कार्रवाई की जाती है।

(घ): वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों द्वारा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के माध्यम से आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने का

निर्णय लिया गया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है और यह परियोजना चालू होने के लिए तैयार है।

(ङ): जी नहीं।

(च): भारतीय रेल ने पहले ही माननीय सांसदों द्वारा एकोमोडेशन के आरक्षण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे आपातकालीन कोटा जारी करके इसकी पुष्टि करना, आपातकालीन कोटा जारी करने में शामिल कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जांच करना, आदि। हाल ही में, रेल राज्य मंत्री ने सभी माननीय मंत्रियों और सांसदों को पत्र लिखकर आपातकालीन कोटा से एकोमोडेशन जारी करने के लिए प्राप्त पत्रों को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में उनके सहयोग की मांग की है। इसके अलावा, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, आपातकालीन कोटा जारी करना, आदि सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

******

sk